Setting up a Finance Corporation for the Disabled

2486. DR. MOHAN BABU: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether a Finance Corporation for the Disabled is to be set up;

(b) if so,the details thereof including the financial implications; and

(c) the objective behind setting up such a corporation and the target earmarked for starting the corporation?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) and (b) Yes, Sir. Government have decided to set up a "National Handicapped Finance & Development Corporation" to provide loan to disabled persons for self-employment and their overall socioeconomic rehabilitation to make them productive members of the society. The proposed Corporation will be a company not for profit under Section 25 of the Indian Companies Act, 1956 with an authorised share capital of Rs. 400 crores. The paid up captial would be Rs. 200 crores released by 1997-98.

(c) The broad objective is to promote economic developmental activities and self-employment of persons with disabilities through providing training, sanctioning 8 projects and providing concessional financial credit to the disabled persons. The process to set up the Corporation is in progress.

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों पर अत्याचार के मामले निपटाने हेतु विशेष न्यायालय स्थापित किया जाना

2487. श्री शिव चरण सिंह: क्या कल्याण मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों पर अत्याचार के मामले निपटाने हेतु विशेष न्यायालय स्थापित करने का विचार रखती है ताकि उन्हें शीघ्र न्याय मिल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ऐसे न्यायालय कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने हेतु कुल कितनी धनराशि केन्द्रीय सहायता के रूप में दिये जाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) से (ग) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत राज्य सरकारों से इस अधिनियम के अंतर्गत मामलों की सुनवाई करने के लिए प्रत्येक जिले के सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने की पहले ही अपेक्षा की गई है। तथापि, इस अधिनियम को संशोधित करने संबंधी एक प्रस्ताव पर राज्य सरकारों तथा अन्य सम्बन्धियों के साथ परामर्श किया जा रहा है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की सहमति से जिलों को छोड़ दिए जाने या मिला लिए जाने के अध्यधीन, प्रत्येक जिले में अनन्य विशेष न्यायालय की स्थापना अनिवार्यतः किए जाने का प्रावधान किया जा सके। तथापि, अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के विरूद्ध अत्याचार के मामलों से निपटाने के लिए विशेष अदालत स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) एक वर्तमान केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए गए उपायों के लिए राज्य सरकारों को 50:50 के आधार पर (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 100%) वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार, राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन विशेष न्यायालयों की स्थापना पर अपने द्वारा वहन किए गए व्यय के लिए समान केन्द्रीय सहायता के पात्र होंगे, जिसकी मात्रा पर इस संबनध में उनके द्वारा तैयार किए गए वार्षिक प्रस्तावों में विचार किया जाएगा।

NHRC's concern on the prevalance of Child Labour

2488. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether the National Human Rights commission has expressed its concern and objection to the prevalence of child labour in its latest Annual Report; and